संख्या-121/2021/996/22-2-2021-17(544)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप पुत्र श्री सिद्धनाथ, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप पुत्र श्री सिद्धनाथ, जो 104/63, चपरासी एरिया, थाना-बजरिया, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। दिनांक 13-07-2003 को सुशील कुमार गुप्ता (मृतक) के घर के दरवाजे पर दिलीप, रोहित व राजन नामक व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, सुशील ने बीच-बचाव करवा दिया। इसी बीच बचाव के दौरान दिलीप व सुशील का विवाद हो गया। इसी रंजिश में बन्दी ने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहशत फैलाकर तमंचे से गोली मार कर सुशील कुमार गुप्ता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1349, 1350/03 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 07 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 18.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 02 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण नितांत असंतोषजनक तथा जेलदण्ड 07 हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद- कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर ने बन्दी की आयु 34 वर्ष की होने के दृष्टिगत उसके भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी शारीरिक रूप से तन्दुरूस्त होने एवं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में विवाद समाप्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रहने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13-07-2003 को आपसी में झगड़े में सुशील कुमार गुप्ता द्वारा बीच-बचाव कराने के दौरान विवाद हो गया। इसी रंजिश में बन्दी ने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहशत फैलाकर तमंचे से गोली मार कर सुशील कुमार गुप्ता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है तथा 09 बिन्दुओं की पुलिस रिपोर्ट/आख्या में बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास होने, दोनों पक्षों में तनाव बना होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने की आख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिलीप पुत्र श्री सिद्धनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिलीप (बन्दी संख्या-23424) पुत्र श्री सिद्धनाथ, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-121/2021/996(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-121/2021/996/22-2-2021-17(544)/2021

दिनांक 29 जुलाई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप पुत्र श्री सिद्धनाथ, जो 104/63, चपरासी एरिया, थाना-बजरिया, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। दिनांक 13-07-2003 को सुशील कुमार गुप्ता (मृतक) के घर के दरवाजे पर दिलीप, रोहित व राजन नामक व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, सुशील ने बीच-बचाव करवा दिया। इसी बीच बचाव के दौरान दिलीप व सुशील का विवाद हो गया। इसी रंजिश में बन्दी ने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहशत फैलाकर तमंचे से गोली मार कर सुशील कुमार गुप्ता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1349, 1350/03 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 07 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 18.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 02 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण नितांत असंतोषजनक तथा जेलदण्ड 07 हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर ने बन्दी की आयु 34 वर्ष की होने के दृष्टिगत उसके भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी शारीरिक रूप से तन्दुरूस्त होने एवं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में विवाद समाप्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रहने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13-07-2003 को आपसी में झगड़े में सुशील कुमार गुप्ता द्वारा बीच-बचाव कराने के दौरान विवाद हो गया। इसी रंजिश में बन्दी ने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहशत फैलाकर तमंचे से गोली मार कर सुशील कुमार गुप्ता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है तथा 09 बिन्दुओं की पुलिस रिपोर्ट/आख्या में बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास होने, दोनों पक्षों में तनाव बना होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने की आख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर नगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिलीप पुत्र श्री सिद्धनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in